प्रेस नोट

दिनाँक 21.10.2025

जनपद-संतकबीरनगर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 59 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 22 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3313 द्वारा दो पक्षों के मारपीट में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3313 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत मरवटिया से कालर द्वारा दो पक्षों के मारपीट में घायल 02 महिलाओं (01.पूनम पुत्री विनोद, 02.सुमन पुत्री रामनरायन निवासीगण ग्राम मरवटिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायलों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से घायलों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेंहदावल भेजवाया गया।जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 उत्तम चौधरी, हो0चा0 झिनकू मौर्या।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 188 वाहनों से 1,58,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 188 वाहनों से 1,58,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- **मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाया गया जागरुकता अभियान।**
- ***महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान***
- ***जनपद संत कबीर नगर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद के सभी थानों द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटीरोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 01- थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बेलवनिया, मोहद्दीपुर, व मैलानी में 02- थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरियाहावा, सफियाबाद, पूर्वा,परसादपुर में 03- थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ठकुराडांडी में 04- थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिड़ारी पूर्वी तथा ग्राम कड़सर, ग्राम सड़हरा में 05- थाना मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत कस्बा मेहदावल , पश्चिम टोला, गुरुद्वारा, विसौवा, डडिया चौराहा, सोनौरा, रोडवेज मेहदावल सी0एच0सी मेहदावल में 06- थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बखिरा में 07- थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कर्माकला, खरवनिया, परतिया में 08 थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम- बरगदवा माफी वार्ड नं- 10, ग्राम बरगदवा माफी , हाकिम राई, बेलराइ, बढ़या,सेवाइचपार, सिकरी, मेंहदूपार चौराहा, देउरा नहर तिराहा, धर्मसिंहवा चौराहा, छिबरा मार्ग, गौरीराइ सेवाइचपार मार्ग, सिकरी नहर तिराहा में 09- महिला थाना द्वारा ग्राम सरैया, समय माता मंदिर, बरदहिया बाजार खलीलाबाद में महिलाओं/बालिकाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त व बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखऱ पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघठा *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 470/2025 धारा 65(1)/ 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रोशन पुत्र परमात्मा साकिन परसहर पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर व 01 बाल अपचारी को भैसा बसन्तपुर मोड़ तिराहे के पास से आज दिनाँक 28.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 26.09.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की 02 नाबालिग पुत्रियों के साथ अभियुक्त उपरोक्त व बाल अपचारी द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 28.09.2025 को उक्त अभियुक्त व बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, उ0नि0 श्री रामदरश यादव , हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 अजीत गुप्ता।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 495/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित बाल अपचारी को आज दिनाँक 21.10.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 06.10.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की पुत्री को उक्त बाल अपचारी द्वारा शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 बदरे आलम, का0 हरिन्द्र यादव।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 181 स्थानों पर 3231 वाहनों को किया गया चेक
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 510 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 26 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 09 चार पहिया वाहनों से उतरवाया गया हूटर
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 12 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 33 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 वाहनों को किया गया सीज
- मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1867 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 21.10.2025 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ☐ ***अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 186 स्थानों पर 3046 व्यक्तियों को किया गया चेक***
- ☐ ***धारा 296 बीएनएस के तहत 08 अभियोग पंजीकृत कर 08 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना***
- ☐ ***253 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया***
- ☐ ***161 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही***
- ☐ ***1881 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 27 स्थानों पर 347 व्यक्तियों को चेक किया गया, 03 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही व 287 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया। थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 213 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा, 78 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया 27 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 25 व्यक्तियों को चेक किया गया, 18 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 29 स्थानों पर 209 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 05 अभियोग पंजीकृत कर 05 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना, 78 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया 22 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 26 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 32 स्थानों पर 452 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना, 37 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 381 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 32 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 680 व्यक्तियों को चेक किया गया, 12 शोहदे के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 215 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 22 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 510 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया रवाना, 28 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 370 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 30 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 41 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 400 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 300 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 40 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया । थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 07 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 210 व्यक्तियों को चेक किया गया, 19 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई 172 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 38 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया ।